न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर ([redacted]) नीमड़ागाना

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

बंशीधर वगै. बनाम श्रामिभारी दावा मु.नं. 51/2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रतिवादी की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होकर लौटी है, बावजूद तामील के भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एपकक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाने का निवदेन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय आदेश पत्रावली दिनांक 12.08.2025 को पेश हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फांस्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

12.08.2025 पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस पूर्व में सुनी जा चूकी है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायाहित में स्वीकार किए जाने योग्य पाए जाने पर स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
51 / 2025	2025 / 88	27.03.2025	12.08.2025

उनवान प्रकरण

1. बंशीधर जाट पुत्र भूराराम जाति जाट आयु 70 साल निवासी वार्ड नम्बर –5 ढाणी घासीवाली छापुडा खुर्द शाहपुरा छापुडा खुर्द जयपुर शाहपुरा राजस्थान
2. फूलचन्द जाट पुत्र भूराराम जाट जाति जाट आयु 74 साल निवासी वार्ड नम्बर –5 ढाणी घासीवाली छापुडा खुर्द शाहपुरा छापुडा खुर्द जयपुर शाहपुरा राजस्थान राजस्थान

–वादीगण–

बनाम्

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादी–

उपस्थित :–

श्री अनिल यादव, एड0 वादी अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

किशोरपुरा भू.अभि. नि. रायपुर जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अविस्थत कृषि भूमि खसरा नम्बर 489, 490, 491 कुल किता–3 कुल रकबा 3.5700 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 473, 480, 481, 482,छ 493, 494, 495, 496 कुल किता–9 कुल रकबा 7.8300 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी में वादी संख्या–1 का नाम बन्शीराम पुत्र घीसामल एवं हिस्सा 1/8 की खातेदारी में वादी संख्या–2 का नाम फूलचन्द पुत्र घीसालाल दर्ज है जो गलत दर्ज है। सजरा खानदान के अनुसार घीसामल के एक पुत्र भूराराम पैदा हुआ है एवं भूराराम के दो पुत्र संतान बंशीधर जाट व फूलचन्द जाट पैदा हुये एवं यहा उल्लेखनीय है कि भूराराम की मृत्यु पिता घीसामल से पूर्व ही हो गयी थी एवं वादीगण बंशीधर जाट व फूलचन्द जाट उस समय नलाबलिग अवस्था में ही थे एवं वादीगण का पिता भूराराम वादीगण के दादा घीसामल से पहले ही फौत हो जाने के कारण वादीगण के दादा घीसामल से पहले ही फौत हो जाने के कारण वादीगण की वल्दीयत घीसामल दर्ज कर दी गयी जो गलत दर्ज कर दी गयी जबकि वास्तविक रूप से वादीगण के पिता का नाम भूराराम ही है एवं वादीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में भी वादीगण के पिता का नाम भूराराम ही दर्ज है एवं वादीगण के पिताजी का नाम दुरूस्तीकरण घीसामल की जगह भूराराम जाट किये जाने बाबत कार्यालय–ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द पं.सं. विराटनगर जयपुरा राज. सुमन देवी मीणा प्रशासक ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द प.सं. विराटनगर व कार्यलय ग्राम पंचायत किशोरपुरा पंचायत समिति अजीतगढ जिला सीकर राज0 तींजा देवी प्रशासक ग्राम पंचायत किशोरपुरा पं. सं. अजीतगढ सीकर राजस्थान द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त वादपत्र के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में वादी संख्या–1 का नाम बन्शीराम पुत्र घीसामल के स्थान पर बंशीधर जाट पुत्र भूराराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना एवं वादीसंख्या–2 का नाम फूलचन्द पुत्र घीसामल के स्थान पर फूलचन्द जाट पत्रु भूराराम जाट घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादपत्र वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद निम्न प्रकार डिक्री फरामाया जावे कि राजस्व ग्राम [illegible] किशोरपुरा भू.अभि.नि. रायपुरा जागीर तहसील श्रीमाधोपुर [illegible] वस्थित कृषि भूमि खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

नम्बर 489, 490, 491 कुल किता–3 कुल रकबा 3.5700 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 473, 480, 481, 482, 492, 493, 494, 495, 496 कुल किता–9 कुल रकबा 7.8300 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी मे वादी संख्या–1 का नाम बन्शीराम पुत्र घीसामल के स्थान पर बंशीधर जाट पुत्र भूराराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं हिस्सा 1/8 की खातेदारी में वादी संख्या–2 का नाम फूलचन्द पुत्र घीसामल के स्थान पर फूलचन्द जाट पुत्र भूराराम जाट घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं इसी अनुसार दुरूस्ती हेतु भूमिधारी तहसीलदार को आदेश प्रदान किया जाने का निवेदन वकील वादीगण ने अपने वादपत्र में किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया, प्रतिवादी की तामील जरिए रजिस्टर्ड डाक से होकर लोटी है, बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट चाही गई थी, जिसके परिपेक्ष्य में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू.अ./2025/1438 दिनांक 14.05.2025 द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि ग्राम किशोरपुरा के वर्तमान खसरा नम्बर 473, 480, 481, 482, 496, 492, 493, 494, 495, 489, 490, 491 जिसके पुराने खसरा नम्बर 260, 266, 267, 268, 279, 280, 275, 276, 277 की खातेदारी बंशीराम फूलचन्द पिता घीसामल के नाम जरिए नामान्तकरण संख्या 163 दिनांक 14.12.78 के द्वारा घीसामल पुत्र मांगूराम के स्थान पर दर्ज हुआ है। बंशीधर पुत्र घीसामल व फूलचन्द पुत्र घीसामल जाति जाट के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं हैं। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट राजस्व ग्राम किशोरपुरा के मजमे आम में जांच करने पर पाया कि बंशीराम पुत्र घीसामल, फूलचन्द पुत्र घीसामल तथा बंशीधर पुत्र भूराराम, फूलचन्द पुत्र भूराराम कमशः दोनो एक ही व्यक्ति हैं। वकील वादीगण ने साक्ष्य वादीगण में वादी बंशीधर जाट पुत्र भूराराम का व फूलचन्द जाट पुत्र भूराराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किए। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

जाने आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीं, ग्राम पंचायत किशोरपुरा पंचायत प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत छापुडा खुर्द का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि खाता संख्या 300, 385 में फूलचन्द पुत्र घीसामल, बंशीराम पत्रु घीसाराम जाति जाट हिस्सा 1/8 दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है । जबकि वादीगण के अन्य दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जांच रिपोर्ट इत्यादि में भी वादीगण का नाम वादीगण के पिता का नाम भूराराम जाट प्रकट होता है। जिसकी ताईद वादीगण के वादपत्र के समर्थन में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट से होती है। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर बन्शीराम पुत्र घीसामल के स्थान पर बंशीधर जाट पुत्र भूराराम व फूलचन्द पुत्र घीसामल के स्थान पर फूलचन्द जाट पुत्र भूराराम जाट शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत इस्तकरार हक, दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि राजस्व ग्राम किशोरपुरा पटवार हल्का किशोरपुरा भू.अभि.नि. रायपुरा जागीर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 48[illegible] 490, 491 कुल किता–3

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner

कुल रकबा 3.5700 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 473, 480, 481, 482, 492, 493, 494, 495, 496 कुल किता–9 कुल रकबा 7.8300 हैक्टर में हिस्सा 1/8 की खातेदारी मे वादी संख्या–1 का नाम बन्शीराम पुत्र घीसामल के स्थान पर बंशीधर जाट पुत्र भूराराम घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं हिस्सा 1/8 की खातेदारी में वादी संख्या–2 का नाम फूलचन्द पुत्र घीसामल के स्थान पर फूलचन्द जाट पुत्र भूराराम जाट घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाकर दुरूस्त किया जावे एवं उक्तानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.09.23 17:22:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner